

20/9/17

अपर जिला न्यायाधीश
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

श्रावण द्वा ३४ श्रावण १९७७ ई २५०/

अनादीक दायकी के ०४२४०९ २५०/

श्रावण के अविश्वता दारा व्यवस्था विषय
गया है कि यह वैध पानिका को नहीं न्यमाना जाये
है।

आप यह वैध पानिका श्रावण के द्वारा कर
न सिरे जावे के कारण बिना पुन-दोष या विराकत
दिने निराला कर जाती है।

उक्त का परिणाम इस का समय बोध
में सिद्धि में लेना जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर जिला न्यायाधीश
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

दिनांक
नहीं
५